१ आर. एम साथार अभि.
द्वारा ... प्रति.
4/1/2001 को
... पेश
...
24/1/2001

- श्री -

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प उज्जैन म० प्र०

प्रकरण क्रमांक R-449-II/2001

१- अशोककुमार आत्मज श्री रामचन्द्रजी

२- मुकेशकुमार आत्मज श्री रामचन्द्रजी

३- ज्योतीबाला पुत्री श्री रामचन्द्रजी, नाबालिग सरपरस्त माता श्रीमती कमलाबाई विधवा स्व० श्री रामचन्द्रजी,

४- श्रीमती कमलाबाई विधवा स्व० श्री रामचन्द्रजी जाति महाजन निवासीगण ग्राम पाँसलोद तहसील खाचरोद जिला उज्जैन म०प्र०

----- आवेदकगण

विरुद्ध

जवाहरलाल आत्मज श्री नन्दलालजी जैन जाति जैन निवासी कस्बा उन्हेल तहसील खाचरोद जिला उज्जैन

---- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म० प्र० भू० रा० संहिता

न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन अधिष्ठाता श्रीमान गढ़वाल के प्रकरण क्रमांक १४२/९३-९४ द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक ११-१२-२००० से असन्तुष्ट होकर ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी मेमो का स्मरण लेख अन्दर अवधि प्रस्तुत है :-

क्रमशः-

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 449-दो/2001 **जिला उज्जैन**

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-4-18	उभयपक्ष अनुपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण में आवेदकपक्ष पेशी दिनांक 22-4-2002 के बाद से लगातार अनुपस्थित है । न्यायहित में आवेदक की उपस्थिति के लिये प्रकरण में आज दिनांक 20-4-2018 तक इंतजार किया गया, परन्तु उभयपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । अत: आवेदक को प्रकरण के निराकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । अध्यक्ष	